शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर

धरमपुरा–2, जगदलपुर, जिला–बस्तर, छत्तीसगढ़, भारत पिनकोड 494001

Shaheed Mahendra Karma Vishwavidyalaya, Bastar

Dharampura-2, Jagdalpur, Distt.-Bastar, Chhattisgarh, India, Pincode 494001

TelePhone 07782-229037, Fax 07782-229037, Website: www.bvvjdp.ac.in

क्रमांक/525/ए–6/अका./कार्यपरिषद/2024 जगदलपुर, दिनांक 23/07/2024

कार्यवृत्त
कार्यपरिषद की 54वीं बैठक
दिनांक 23.07.2024

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर जगदलपुर के कार्यपरिषद की 54वीं बैठक दिनांक 23.07.2024 को अपरान्ह 2.00 बजे विश्वविद्यालय के सभाकक्ष में आहूत की गई। उक्त बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :–

1. प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव, कुलपति	पदेन अध्यक्ष
2. डॉ. के. इंदिरा, प्राध्यापक	सदस्य
3. डॉ. आर.के. हिरकने, संकायाध्यक्ष, वाणिज्य	सदस्य
4. डॉ. सरला आत्राम, प्राचार्य	सदस्य
5. डॉ. चेतन राम पटेल, प्राचार्य,	सदस्य
6. डॉ. टी.आर. रात्रे, प्राचार्य	सदस्य
7. श्री ईश्वर प्रसाद तिवारी, संकायाध्यक्ष, शिक्षा एवं विधि संकाय	सदस्य
8. श्री अभिषेक कुमार बाजपेयी, कुलसचिव	पदेन सचिव

विषय क्रमांक–1 (विश्वविद्यालय के अकादमिक विभाग का प्रस्ताव)

कार्यपरिषद की 50वीं दिनांक 05.02.2024 एवं 51वीं, 52वीं, 53वीं बैठक (आपात) दिनांक 22.02.2024, 21.05.2024 एवं 24.05.2024 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि पर विचार।

निर्णयः कार्यपरिषद की 50वीं एवं 51वीं, 52वीं, 53वीं बैठक (आपात) के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान की गई।

विषय क्रमांक–2 (विश्वविद्यालय के अकादमिक विभाग का प्रस्ताव)

कार्यपरिषद की 50वीं दिनांक 05.02.2024 एवं 51वीं, 52वीं, 53वीं बैठक (आपात) दिनांक 22.02.2024, 21.05.2024 एवं 24.05.2024 के कार्यवृत्त का पालन प्रतिवेदन पर विचार।

निर्णयः पालन प्रतिवेदन का अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय क्रमांक–3 (विश्वविद्यालय के अकादमिक विभाग का प्रस्ताव)

दिनांक 23.07.2024 को आयोजित विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक में विचार हेतु रखे गये प्रस्ताव एवं विषयों पर लिए गये निर्णयों का अनुमोदन पर विचार।

निर्णयः सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय क्रमांक–4 (विश्वविद्यालय के वित्त विभाग का प्रस्ताव)

विश्वविद्यालय में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का भविष्य निधि राशि की कटौती विलम्ब से किये जाने कारण कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय, रायपुर के निर्देशानुसार क्षति एवं ब्याज सहित कुल राशि रू. 53,88,234 जमा करने पर विचार।

निर्णयः सर्वसम्मति से भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक–5 (विश्वविद्यालय के गोपनीय विभाग का प्रस्ताव)

MICS भोपाल के द्वारा सत्र 2023–24 के परीक्षा/गोपनीय संबंधी कार्यो के समाप्ति पश्चात जी.एस.टी सहित राशि 66,36,318 (छियासठ लाख छत्तीस हजार तीन सौ अठारह रू.) भुगतान करने पर विचार।

निर्णयः सर्वसम्मति से भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक–6 (विश्वविद्यालय के गोपनीय विभाग का प्रस्ताव)

MICS भोपाल के द्वारा डिग्री प्रारूप/लिफाफा मुद्रण के देयकों का जी.एस.टी सहित राशि रू. 9,21,717 (नौ लाख इक्कीस हजार सात सौ सत्रह रू.) भुगतान करने पर विचार।

निर्णयः सर्वसम्मति से भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

23 JUL 2024

विषय क्रमांक–7 (विश्वविद्यालय के गोपनीय विभाग का प्रस्ताव)

वार्षिक परीक्षा 2024 के पुनर्गणना, पुनर्मूल्यांकन एवं पूरक परीक्षा 2024 तथा सेमेस्टर परीक्षा जनवरी–जून 2024 के परीक्षा परिणाम जारी होने तक MICS भोपाल के अनुबंध समय–सीमा दिनांक 12.08.2024 को 31 दिसम्बर 2024 तक वृद्धि करने पर विचार।

निर्णयः पूर्व परिणामों के डाटा के वर्तमान परिणामों को तैयार करने में आधारभूत डाटा एवं निरंतरता के कारण MICS भोपाल के अनुबंध समय–सीमा दिनांक 12.08.2024 के स्थान पर 31 दिसम्बर 2024 तक की स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक–8 (विश्वविद्यालय के कुलसचिव कार्यालय का प्रस्ताव)

सेमेस्टर परीक्षा जुलाई–दिसम्बर 2023 (सत्र 2023–24) के प्रश्न पत्र प्रिंटिग के देयक राशि 42,43,577.00 का भुगतान की स्वीकृति पर विचार।

निर्णयः सर्वसम्मति से भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक–9 (विश्वविद्यालय के भण्डार प्रकोष्ठ का प्रस्ताव)

चतुर्थ दीक्षांत समारोह हेतु विभिन्न व्यवस्था बाबत् फर्म Carbitz, Civil Line, Pathraguda, Jagdalpur का देयक रू. 49,60,931.00 (उनचास लाख, साठ हजार, नौ सौ इकतीस) के कार्य एवं भुगतान की कार्योत्तर अनुमति के संबंध में।

निर्णयः सर्वसम्मति से कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक–10 (विश्वविद्यालय के भण्डार प्रकोष्ठ का प्रस्ताव)

निविदा के स्वीकृत दर पर रू. 5,19677 .00 (पांच लाख, उन्नीस हजार, छः सौ सतत्तर) मात्र का अनुपयोगी रद्दी कागजात विक्रय की सूचना।

निर्णयः सूचना ग्रहण की गई।

विषय क्रमांक–11 (विश्वविद्यालय के भण्डार प्रकोष्ठ का प्रस्ताव)

रूसा मद अंतर्गत अब तक कुल रू. 5,59,93,731.00 (पांच करोड़., उनसठ लाख, तिरान्नवे हजार, सात सौ इकतीस) मात्र की विभिन्न सामग्रियों को क्रय एवं भुगतान की सूचना।

निर्णयः सूचना ग्रहण की गई।

विषय क्रमांक–12 (विश्वविद्यालय के भण्डार प्रकोष्ठ का प्रस्ताव)

चतुर्थ दीक्षांत समारोह हेतु विभिन्न मुद्रण कार्य, मोंमेंटो क्रय एवं संबंधित अन्य कार्यो के लिए निविदा में स्वीकृत फर्म B. Flex Printing, Nayapara, Jagdalpur का देयक रू. 8,77,734.00 (आठ लाख, सतत्तर हजार, सात सौ चौतीस) के कार्य एवं भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार।

निर्णयः सर्वसम्मति से कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक–13 (विश्वविद्यालय के भण्डार प्रकोष्ठ का प्रस्ताव)

विश्वविद्यालय में सुरक्षा गॉर्ड व्यवस्था हेतु निविदा जारी करने की कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार।

निर्णयः सर्वसम्मति से कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक–14 (विश्वविद्यालय के वाहन प्रकोष्ठ का प्रस्ताव)

Maruti Suzuki अधिकृत ऐजेंसी SKY Automobile, Geedam Road, Jagdalpur से Maruti Ciaz CG-02 6436 वाहन का मरम्मत कार्य कराये जाने हेतु जी.एस.टी. एवं अन्य सहित राशि रू. 1,37,835/– का प्राप्त प्राक्कलन अनुसार कार्य कराये जाने की स्वीकृति पर विचार।

निर्णयः उक्त वाहन का मरम्मत कार्य कराये जाने हेतु सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान किया गया।

विषय क्रमांक–15 (विश्वविद्यालय के कुलसचिव कार्यालय का प्रस्ताव)

पी–एच.डी. प्रवेश (Entrance Exam) परीक्षा सत्र 2023 (सत्र 2023–24) के प्रश्न पत्र प्रिंटिग के देयक राशि 7,47,205.00 का भुगतान की स्वीकृति पर विचार।

निर्णयः सर्वसम्मति से भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

2 3 JUL 2024

विषय क्रमांक–16 (विश्वविद्यालय के प्रशासन विभाग का प्रस्ताव)

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर एवं मेटास सिक्योरिटी एवं फायर सर्विस प्रायवेट लिमिटेड, रायपुर के मध्य दिनांक 21.03.2023 को किये गये अनुबंध के परिप्रेक्ष्य विश्वविद्यालय द्वारा सुरक्षा सुपरवाईजर एवं सुरक्षा गॉर्ड तैनात का जून, 2024 के देयक की राशि रूपये 6,33,488.00 (छः लाख तैतीस हजार चार सौ अठ्यासी रूपये) भुगतान करने पर विचार।

निर्णयः सर्वसम्मति से भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक–17 (विश्वविद्यालय के प्रशासन विभाग का प्रस्ताव)

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर एवं मेटास सिक्योरिटी एवं फायर सर्विस प्रायवेट लिमिटेड, रायपुर के मध्य दिनांक 21.03.2023 को किये गये अनुबंध के परिप्रेक्ष्य विश्वविद्यालय द्वारा सुरक्षा सुपरवाईजर एवं सुरक्षा गॉर्ड तैनात का अप्रैल एवं मई, 2024 में रूपये 6,16,972.00 (छः लाख सोलह हजार नौ सौ बहत्तर रूपये) एवं रूपये 6,33,488.00 (छः लाख तैतीस हजार चार सौ अठ्यासी रूपये) भुगतान करने की सूचना।

निर्णयः सूचना ग्रहण की गई।

विषय क्रमांक–18 (विश्वविद्यालय के कुलसचिव कार्यालय का प्रस्ताव)

वार्षिक परीक्षा मार्च–अप्रैल 2024 (सत्र 2023–24) के प्रश्न पत्र प्रिंटिग के देयक राशि 84,67,486.00 का भुगतान की स्वीकृति पर विचार।

निर्णयः सर्वसम्मति से भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक–19 (विश्वविद्यालय के कुलसचिव कार्यालय का प्रस्ताव)

सेमेस्टर परीक्षा जनवरी–जून 2024 (सत्र 2023–24) के प्रश्न पत्र प्रिंटिग के देयक राशि 51,87,404.00 का भुगतान की स्वीकृति पर विचार।

निर्णयः सर्वसम्मति से भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक–20 (विश्वविद्यालय के स्थापना विभाग का प्रस्ताव)

छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जारी अतिथि व्याख्याता नीति, 2024 को विश्वविद्यालय में यथावत लागू करने पर विचार।

निर्णयः सर्वसम्मति से यथावत लागू करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक–21 (विश्वविद्यालय के प्रशासन विभाग का प्रस्ताव)

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर में पैनल अधिवक्ता नियुक्त कर फीस (सभी व्यय सहित) निर्धारित करने पर विचार।

निर्णयः श्री नीरज चौबे को विश्वविद्यालय के विधिक प्रकरणों एवं यॉचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के समक्ष विश्वविद्यालय का पक्ष रखने हेतु पैनल अधिवक्ता नियुक्त करने का निर्णय लिया गया। श्री नीरज चौबे को सम्पूर्ण पैरवी जैसे–यॉचिका योजित स्टाम्प,संबंधित लिखा पढ़ी करना, अन्य यॉचिकाओं में एफेडेविट, रिज्वाइंडर एफेडेविट एवं माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विश्वविद्यालय के पक्ष में अधिकृत अधिवक्ता रूप में आर्गमेंटस आदि को सम्मिलित कर प्रति प्रकरण/रिट रू. 15000 फीस प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय।

विषय क्रमांक–1 (विश्वविद्यालय के स्थापना विभाग का प्रस्ताव)

अतिथि व्याख्याता नीति, 2024 के अनुपालन में विगत वर्षों से कार्यरत कुल 13 अतिथि व्याख्याताओं को पुनः आमंत्रित/इंम्पैनल किये जाने के संबंध में।

विभागीय टीपः–

अतिथि व्याख्याता नीति, 2024 के अनुपालन में विगत वर्षों से कार्यरत कुल 17 अतिथि व्याख्याताओं में से 10 अतिथि व्याख्याता श्रेणी 1 में तथा 03 अतिथि व्याख्याता श्रेणी 2 में कुल 13 अतिथि व्याख्याताओं को उनके विभागाध्यक्ष/प्रभारी विभागाध्यक्ष से प्राप्त सत्यापित अभिलेखों एवं उनके पत्रावलियों में उपलब्ध अभिलेखों के परीक्षण के आधार पर वर्गीकृत किये गये हैं। अतिथि व्याख्याता नीति, 2024 के अनुसार ऐसे शिक्षकों को लाभ देते हुये अगले सत्र अर्थात सत्र 2024–25 के लिये पुनः अतिथि व्याख्याता के पैनल में सम्मिलित किया जा सकता है, जो निर्धारित श्रेणी 1, 2 अथवा 3 में आते हैं। अतः इस प्रकार श्रेणियों में चिन्हित शिक्षकों को पुनः सत्र 2024–25 के लिये अतिथि व्याख्याता शिक्षक के रूप में आमंत्रित करने पर विचार किया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष सूचनार्थ एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

2 3 JUL 2024

निर्णयः स्थापना विभाग द्वारा श्रेणी–1 में प्रस्तावित 10 एवं श्रेणी–2 में प्रस्तावित 03 कुल 13 शिक्षकों, जो कि पूर्व शैक्षणिक सत्रों में अतिथि व्याख्याता के रूप में कार्य कर रहे थे, को अगले सत्र 2024–25 में अतिथि व्याख्याता के रूप में पुनः आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया।

विषय क्रमांक–2 (विश्वविद्यालय के स्थापना विभाग का प्रस्ताव)

अतिथि व्याख्याता नीति, 2024 के अनुसार कुल 04 अतिथि व्याख्याताओं के किसी भी श्रेणी में समाहित नहीं होने के कारण उक्त 04 पदों पद अतिथि व्याख्याता आमंत्रित किये जाने के संबंध में।

विभागीय टीपः–

विगत वर्षों में कार्यरत कुल 17 अतिथि व्याख्याताओं में से अतिथि व्याख्याता नीति, 2024 के अधीन कुल 04 शिक्षक श्रेणी 1, 2 एवं 3 में से किसी भी श्रेणी में समाहित नहीं होने के कारण अतिथि व्याख्याता नीति, 2024 के प्रावधान अनुसार उक्त कुल 04 पदों को विज्ञापित कर अतिथि व्याख्याता आमंत्रित करने पर विचार किया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष सूचनार्थ एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

निर्णयः अतिथि व्याख्याता नीति, 2024 के अनुपान में अंग्रेजी, समाजकार्य एवं पत्रकारिता एवं जन संचार विभागों में कार्यरत क्रमशः 01, 01 एवं 02 शिक्षकों के श्रेणी 01, 02 एवं 03 में समाहित नहीं होने की दशा में संबंधित पदों को अतिथि व्याख्याता नीति, 2024 के प्रावधानों के अनुरूप विज्ञापित करने का निर्णय लिया गया।

विषय क्रमांक–3 (विश्वविद्यालय के स्थापना विभाग का प्रस्ताव)

विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में कार्यरत कुल 08 संविदा सहायक प्राध्यापकों के पदों के सापेक्ष अतिथि व्याख्याता नीति, 2024 के अनुसार पदों को विज्ञापित कर अतिथि व्याख्याता आमंत्रित किये जाने के संबंध में।

विभागीय टीपः–

विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में कुल 08 संविदा सहायक प्राध्यापक कार्य कर रहे हैं। इनमें से 07 शिक्षकों का 28.08.2024 को एवं 01 शिक्षक का 27.09.2024 को सेवा समाप्त हो रहा है। यह भी संज्ञान में लाना है कि इन पदों को नियमित भर्ती हेतु नियुक्ति की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है। अतः जब तक नियमित शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक के लिये छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी अतिथि व्याख्याता नीति, 2024 के अनुपालन में उनके पदों के सापेक्ष नीति के अनुसार पदों को विज्ञापित कर अतिथि व्याख्याता आमंत्रित करने पर विचार किया जाना प्रस्तावित है।

निर्णयः राज्य सरकार, उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जारी अतिथि व्याख्याता नीति, 2024 को समस्त राज्य विश्वविद्यालयों में लागू करने के आदेश के अनुपालन में नियमित शिक्षकों की कमी एवं रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन होने की स्थिति में विभागों में शिक्षकों की आवश्यकता को पूर्ण करने हेतु वैकल्पिक/अस्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत वर्तमान में विश्वविद्यालय में संविदा पर शिक्षक एवं अतिथि व्याख्याता अर्थात शिक्षकों की दो श्रेणियों के स्थान पर उच्च शिक्षा विभाग, राज्य सरकार के द्वारा अतिथि व्याख्याता नीति, 2024 के लागू करने के पश्चात् केवल एक श्रेणी के शिक्षक अर्थात् अतिथि व्याख्याताओं से ही शिक्षण कार्य को पूर्ण करने हेतु आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया। इस प्रकार, विभिन्न पाठ्यक्रमों को सुचारू रूप से संचालन के दृष्टिगत वर्तमान में कार्यरत संविदा शिक्षकों की संविदा अवधि के समाप्त होने के पश्चात नियमित शिक्षकों की कमी एवं रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन होने की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था/अस्थायी व्यवस्था/अल्पकालीन शिक्षण व्यवस्था के रूप में तद्नुसार रिक्त हुए पदों को अतिथि व्याख्याता नीति, 2024 के प्रावधानों के अन्तर्गत शैक्षणिक विभागों में छात्रों की संख्या एवं शैक्षिक आवश्यकताओं के आधार पर निश्चित किये पदों को विज्ञापित कर संविदा शिक्षकों को आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया।

23 JUL 2024

विषय क्रमांक–4 (विश्वविद्यालय के वित्त विभाग का प्रस्ताव)

सातवें केन्द्रीय वेतनमान की के–डिपॉजिट में जमा राशि से मिलान करने के उपरांत 50% राशि का आहरण एवं भुगतान करने के संबंध में।

विभागीय टीपः–

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्रं. 42/नि.स./आउशि/2024 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 02.07.2024 के अनुसार स्थापना शाखा से प्राप्त नस्ती पर उल्लेखित "राजकीय विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को सातवें वेतनमान के एरियर्स के 50 प्रतिशत राशि (राज्य शासन का अंश) भुगतान की अनुमति इस शर्त पर दी गई है कि उक्त वर्षों में दी जा चुकी ब्लॉक ग्रांट की राशि के अतिरिक्त पृथक से कोई अनुदान की राशि जारी नहीं की जायेगी। अतः लंबित एरियर्स अथवा के–डिपॉजिट में जमा राशि से मिलान करने के उपरांत 50 प्रतिशत की राशि का आहरण एवं भुगतान करने हेतु निर्देशित किया गया है।"

उक्त शिक्षकों का गणना पत्रक दिनांक 01.01.2016 से 30.03.2018 तक कुल 27 माह का एरियर्स का भुगतान बनाया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

क्रं.	विवरण	Gross Total Amount (100%)	(50%) Amount Released.	CPF Ded	IT TDS	Net. Amt.
1	प्रो.एन.डी.आर. चन्द्रा (पूर्व कुलपति)	347100	173550	0	17355	156195
2	डॉ. एस.के.सिंह (पूर्व कुलपति)	244258	122129	0	12213	109916
3	प्रो.शरद नेमा, प्रोफेसर	1016910	508455	92446	46223	369786
4	प्रो.स्वपन कोले, प्रोफेसर	757522	378761	68866	34433	275462
5	डॉ. आनंद मूर्ति मिश्रा, सहा. प्रोफेसर	305006	152503	27728	13864	110911
6	डॉ. विनोद कुमार सोनी, सहा.प्रोफेसर	305006	152503	27728	13864	110911
7	डॉ. सुक्रिता तिर्की , सहा. प्रोफेसर	305006	152503	27728	13864	110911
8	डॉ. संजय डोंगरे, सहायक ग्रंथपाल	305006	152503	27728	13864	110911
9	डॉ. संजीवन कुमार, सहा. प्रोफेसर	272448	136224	24768	12384	99072
	कुल योग	**3858262**	**1929131**	**296992**	**178064**	**1454075**

अतः संलग्न देयक के अनुसार एरियर्स भुगतान हेतु Gross Amt- 19,29,131/- (रूपये उन्नीस लाख उन्नतीस हजार एक सौ इक्कतीस) एवं Net Amt- 14,54,075/- (राशि चौदह लाख चौवन हजार पचहत्तर) मात्र की स्वीकृति प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष सूचनार्थ एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

निर्णयः बजट प्रावधान अनुसार सर्वसम्मति से भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

कुलसचिव
शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर
जगदलपुर, जिला–बस्तर (छ.ग.)

Manoj K. Srivastava 23.07.2024
कुलपति
शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर
जगदलपुर, जिला–बस्तर (छ.ग.)

23 JUL 2024